

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

बजरंगलाल

बनाम

प्रोपदी वर्मा

दावा

मुकदमा नं०

2

सन्

2018

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

08¹⁰/₁₈ वकील कादी श्री रामसिंह
शोखावत ने हाजिर अदालत होकर
पादपत्र पेश किया। ~~का~~ दावा दर्ज रजिस्टर किया
जाये। प्रतिवादीगण की तलबी जरिदत सम्मन
की जाओर पत्रावली दिनांक 02-11-2018 को
पेश है।

02¹¹/₁₈ पत्रावली पेश हुई। वकील कादी उर्फ
कादी एवं प्रतिवादी सं० 1 त 3 की ओर से
राजीनामा पेश हुआ। कादी की पहचान श्री
रामसिंह शोखावत एवं ने तथा प्रतिवादी सं०
1 त 3 की पहचान श्री सुनील कुमार पारीक
एवं ने की। उपस्थित पक्षकार्यन को राजीनाम
पत्र उर्फ सुनामा गमा जिसे पुन व सम्मन उर
उपस्थित पक्षकार्यन द्वारा ली होना स्वीकार
किया गया। अतः हस्तबद्धादिवा पक्षकार्यन
राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया
गया। प्रतिवादी सं० 4 की तस्दीक सम्पत्त रूप से
होकर लौटी है। बावजूद सम्पत्त तस्दीक
उक्त प्रतिवादी की ओर से कोर्ट हाजिर
अदालत ली आज है। अतः प्रतिवादी सं० 4
के विकल्प एकपक्षीय कार्यवाही अमल से
लौट जारी है। बान्ने माध्य पत्रावली दिनांक
06-02-19 को पेश है।

न. प्रोपदी

म. क. म. म.

म. क. म. म.

म. क. म. म.

म. क. म. म.

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

02/18

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरिफन
उप./अनुसिलिता पीठापीन अधिकारी से
/अन्य कार्य में भारत पत्रावली अग्रिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 06-02-19

को पेश हो। (क) पुनश्च: वकील वदी के मुख्य परिष्करण का
PW-1 का PW-3 के शपथ-पत्र पेश किए जा सका
पत्रावली छिड़े गए। (ख)

06/19

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरिफन
उप./अनुसिलिता पीठापीन अधिकारी से
/अन्य कार्य में भारत पत्रावली अग्रिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 10/03/19
को पेश हो। (क)

10/19

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरिफन
उप./अनुसिलिता पीठापीन अधिकारी से
/अन्य कार्य में भारत पत्रावली अग्रिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 12/4/19
को पेश हो। (क)

04/18

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उमयपद उपाधित।
उक्त में वरस बकुलाय उमयपद सुनी गई।
दोनों वरस बकुलाय उमयपद में मुताबिक
राजीनामा दाना डिकी फरमाया जाने का निर्देश
किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध जल
रेकॉर्ड, पेशाशुदा राजीनामा एवं मुख्य परिष्करण
कावत पेश किसे गये शपथ पत्रों का अवलोकन
किया गया। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 का उने न्यायालय
हाजा के समक्ष उपस्थित होकर विवादित श्रुतियों
कावत जीए राजीनामा वदी के दावे को स्वीकार
किया है। अतः वदी का वाद न्यायहित में स्वीकार
किया जाकर उक्त में दोषणा इस आशय की
जारी की जाती है कि:-

उद्देश

उक्त ग्राम बिहारीपुर पटवार हल्का बरसिंहपुर तहसील
खण्डेला जिला सीकर (राज.) अवाकित कृषि भूमि
ख. नं. 40, 41, 62/373 एका 1.61 हे. में
मृतक बनजी पुत्र हनुमान के नाम दर्ज हिस्सा 1/2
से मृतक बनजी पुत्र हनुमान का नाम हजफ किया
जाकर वही को उक्त हिस्से का खातेदार काश्तकार
घोषित किया जाता है। तहसीलदार खण्डेला उक्त
विवाकित हिस्से पर जमा योग्य राजस्व शुल्क
अथवा हक-त्याग शुल्क राजकोष में जमा ली
जाकर उम्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल
दरामद किया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार
पर्चा डिक्री जारी हो। फत्रावली फेसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील
दाखिल दफ्तार हो। निर्णय खुले न्यायालय में
सुना गया।



8/5/19
खण्डेला (सीकर)